

सेवा में,

प्रबन्धक,

सेन्ट एन्थोनी जूनियर हाई स्कूल, रामपुर ।

पत्रांक: शिओसो/मान्यता/ 8889-8904 /1994-95 दिनांक: 21-15

विषय:- आठवीं श्रेणी उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) "ब" श्रेणी की मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आज्ञादेश संख्या 217/15-6-92-18-सस/7/89 दिनांक 11-5-92 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय की कक्षा 6 से 8 तक "ब" श्रेणी की मान्यता यह आदेश निगमित होने की तिथि से प्रदान की जाती है। प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

आज्ञादेश में विहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कार्यालयों के पद अनुमन्य होंगे :-

प्रधानाध्यापक-	एक
सहायक अध्यापक-	चार
लिपिक -	एक
चतुर्थ श्रेणी कार्यालयी -	एक

उक्त जनशक्ति में त्रिभारवा/ प्रसार/कृषि अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे। आठवीं/विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थितिमें मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उत्तर प्रदेश बैसिक शिक्षा परिषद को होगा।

भावदीय

10-1-95  
॥ कृष्णावतार विनोई ॥  
मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बैसिक)  
हादशा मण्डल, मुरादाबाद ।

पुनः शिओसो/मान्यता/

/1994-95 दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर शिक्षा निदेशक (बैसिक), 3050, शिक्षा निदेशकालय, इलाहाबाद ।
- 2- सचिव, 3050 बैसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ।
- 3- जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी, बिजवेहेड, रामपुर ।
- 4- लेखाधिकारी, कार्यालय, जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी, रामपुर ।
- 5- जिला सभाय कल्याण अधिकारी, रामपुर ।
- 6- कार्यालय मार्ग पत्रावली हेतु ।

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक  
(बैसिक), हादशा मण्डल, मुरादाबाद।